निजी विश्वविद्यालय बनाइये, शिक्षा से वंचित बच्चों की परवाह किसे है?

राजस्थान सरकार बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने का दावा करती है। सरकार अक्सर ऐसी बातें भी करती है कि जो स्कूल पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिये चलाये जा रहे हैं उनके लिये

जमीन का आवंटन प्राथमिकता से रियायती दरों पर किया जा सकता है। लेकिन यह सब बातें खोखले वादों से ज्यादा कुछ नहीं है। जयपुर विकास प्राधिकरण एक ऐसे स्कूल को अपनी जगह से हटाना चाहता है जो 1993 से चल रहा है। वर्तमान में यह स्कूल 300 से अधिक बच्चों को अच्छी शिक्षा मुहैया करा रहा है जिनमें ज्यादातर गरीब परिवारों की बालिकायें पढ़ रही हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण यह सब एक निजी विश्वविद्यालय खोलने वाली संस्था को मदद करने के लिये कर रहा है। नीचे दिये गये तथ्यों पर गौर कीजिये–

दिगन्तर का बन्ध्याली स्कूल :

1. इस स्कूल की स्थापना 1992 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मदद से की गई थी। आरंभ में यह स्कूल पेड़ों के नीचे चला तथा इसके बाद इस स्थान पर चल रहा है।
2. यह नवाचार एवं अच्छी शिक्षा के लिये राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है।

3. वर्तमान में इस स्कूल में 300 से अधिक बच्चे निःशुल्क पढ़ रहे हैं, किताबें और अन्य सामग्री भी निःशुल्क दी जाती है।
4. स्कूल के लिये जगह समुदाय द्वारा आस–पास की ढाणियों के बच्चों की सुविधानुसार चुनी गई थी।
5. स्कूल हेतु भूमि के आवंटन के लिये जयपुर विकास प्राधिकरण को वर्ष 2000 से पहले दो अर्जियां लिखी गई थीं। हर बार यह अर्जियां समुदाय की पहल पर लिखी गई थी, लेकिन जयपुर विकास प्राधिकरण से कोई जवाब नहीं मिला। अब तो वहां अर्जियों का पता लगाना भी मुश्किल है।
6. अन्त में हमारे द्वारा वर्ष 2003 में एक और अर्जी जयपुर विकास प्राधिकरण को दी गई, इस अर्जी पर विचार कर जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से कुछ अन्य दस्तावेजों व शुल्क की मांग की गई। जो उनके द्वारा दिये गये समय में जमा करवा दिये गये। इसके बावजूद जयपुर विकास

प्राधिकरण से कोई जवाब तब तक नहीं मिला जब तक हमने उच्च न्यायालय में याचिका दर्ज नहीं की।

महिमा शिक्षा समिति द्वारा प्रस्तावित विश्वविद्यालय :

1. महिमा शिक्षा समिति द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण में दिगन्तर के काफी बाद जमीन के आवंटन के लिये अर्जी दी गई।
2. महिमा शिक्षा समिति वहां निजी विश्वविद्यालय खोलना चाहती है।
3. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तुरन्त उस जमीन को आरक्षित कर दिया गया जहां बन्ध्याली स्कूल चला रहा है।

दिगन्तर ने यह जानने के बाद की बन्ध्याली स्कूल की जमीन को महिमा शिक्षा समिति के लिये आरक्षित कर दिया गया है उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने जयपुर विकास प्राधिकरण को दिगन्तर की अर्जी को पहले सुनने का आदेश दिया क्योंकि वहां स्कूल पिछले 13 वर्षों से चल रहा है व महिमा शिक्षा समिति की अर्जी दिगन्तर के काफी बाद में आई थी। दिगन्तर राजस्थान सरकार द्वारा तय की गई वाजिब दरों पर जमीन को खरीदने के लिये भी तैयार है।

इन सबके बावजूद जयपुर विकास प्राधिकरण ने दिगन्तर को जमीन खाली करने का नोटिस भेजा है। उस नोटिस में ना किसी अर्जी का जिक्र है ना ही अर्जी खारिज करने का कोई कारण लिखा है। इससे सीधा प्रतीत होता है कि जयपुर विकास प्राधिकरण की नजर में बालिकाओं की शिक्षा, शिक्षा का निजीकरण और पैसा कमाने वालों की तुलना में कोई महत्व नही रखती। यह भी साफ है कि जनहित और शिक्षा का सार्वभौमीकरण भी किसी एक खास व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की मानसिकता के आगे कोई मायने नहीं रखता

है। यह भी साफ है कि जयपुर विकास प्राधिकरण में उच्च स्तर पर काम कर रहे लोगों के लिए जनहित में किये जा रहे काम और बालिकाओं के सशक्तिकरण का कोई अर्थ नहीं है। वर्तमान में स्कूल इसलिए चल पा रहा है क्योंकि हमें उच्च न्यायालय की तरफ से यथास्थिति बनाने रखने का आदेश (स्टे आर्डर) मिल गया है।

हमारा मानना है : नैतिक दृष्टि से

जयपुर विकास प्राधिकरण दावा करता है कि दिगन्तर को स्कूल हटाने व जमीन खाली करने का नोटिस कानून के तहत है।

हम सोचते हैं :

1. जयपुर विकास प्राधिकरण हमारी अर्जी पर कभी भी कानून के नियमों के अनुसार नहीं चला, जबकि हम जमीन के आवंटन के लिए वर्ष 1997 से जयपुर विकास प्राधिकरण में आवेदन कर रहे हैं।
2. हमारा उद्देश्य कभी भी जमीन पर कब्जा करना नहीं था। वर्ष 1993 में स्कूल की इमारत बनाने से पहले हमने जयपुर के कलेक्टर (उस समय यह कलेक्टर के अधिकार में था) को आवेदन कर सूचित किया था कि समुदाय की सलाह पर हम खाली जमीन पर स्कूल शुरू कर रहे हैं।

3. हम समय–समय पर जयपुर विकास प्राधिकरण को सूचित करते रहे हैं कि इस जमीन पर स्कूल चल रहा है। हम समय–समय पर जमीन के आवंटन के लिए भी अर्जी देते रहे है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने हमें इससे पहले कभी भी वहां से स्कूल हटाने के लिए नहीं कहा, साथ ही हमारी अर्जी का भी कोई जवाब नहीं दिया।
4. हमने स्कूल की इमारत के पास ही एक बोर्ड लगा रखा है जिसमें यह साफ कहा गया है कि यह जमीन दिगन्तर की नहीं है और दिगन्तर को इस जमीन में कोई रूचि नहीं है, लेकिन हम स्कूल को जारी रखना चाहते है। साथ ही मानते हैं कि स्कूल के लिए जमीन उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी है।
5. जमीन कभी भी लाभ कमाने व निजी कार्य करने के लिए काम में नहीं ली गई।
6. अब जयपुर विकास प्राधिकरण कानून की आड़ लेकर वंचित बच्चों के लिय चल रही शिक्षण संस्थान को खत्म करके निजी मुनाफे के लिये देना चाहती है।
7. यदि समुदाय और दिगन्तर शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए निःशुल्क स्कूल खोलने के लिए सरकार की अनुमति का इंतजार 1993 में करते तो यह स्कूल कभी भी शुरू नहीं हुआ होता।
8. अगर आज स्कूल को यहां से हटा दिया जाता है तो यह बच्चों के शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार का सीधा हनन होगा और जमीन को इस्तेमाल करने की समुदाय की सर्वसम्मत राय का असंवेदनशील तरीके से अपमान होगा। इन सब बातों को देखते हुए हम यह सोचते हैं कि स्कूल को जारी रखने की हमारी लड़ाई नैतिक दृष्टि से सही है।

हमारी स्थिति : कानूनी दृष्टि से

1. दिगन्तर वर्ष 1993 से यानि पिछले 12 वर्षों से इस जमीन पर स्कूल चला रहा है।
2. जमीन जनहित के लिए उपयोग मे ली जा रही है न कि निजी लाभ के लिए।
3. जमीन को आंवटन करने की अर्जी जयपुर विकास प्राधिकरण में मई 2000 से पड़ी हुई है।
4. दिगन्तर की अर्जी को नजरअन्दाज कर, एक निजी संस्था को जमीन आवंटित करना दिगन्तर के समानता के अधिकार का हनन है। यह खुला पक्षपात है। जयपुर विकास प्राधिकरण को पहली अर्जी की बजाय बाद वाली अर्जी को (जब पहले अर्जी करने वाला उस जमीन को पहले से ही जनहित के लिए इस्तेमाल कर रहा है) प्राथमिकता देने के पीछे ठोस तर्कसंगत कारण देने होंगे और ऐसे कोई भी कारण है नहीं।

******

दिगन्तर

टोडी रमजानीपुरा, खोह नागोरियान रोड,
जगतपुरा, जयपुर–25
फोन : 0141–2750230, 2750310
ई–मेल : **digantar@datainfosys.net**